

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 980/2026

Mukesh Kumar S/o Shri Kalyan, Aged About 30 Years, Resident Of Girwasa, Tehsil Lahar, Police Station Aswar, District Bhind, Madhya Pradesh, Presently Residing At Village Thaled (Thaladka), Tehsil Rawatsar, District Hanumangarh, Rajasthan. (At Present Confined In Sub Jail, neem Ka Thana.)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Shailender Singh Balwada, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

21/05/2026

एकल पीठ दांडिक अपील के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इस अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

In S.B. Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 883/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कम-2 नीम का थाना, जिला सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 22/2016 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 27.04.2026 के माध्यम से धारा 452, 323, 394, 308 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धि हेतु पत्रावली पर कोई विश्वसनीय तथा विधितः स्वीकार्य सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है। अभियुक्त करीब तीन वर्ष सात माह की अभिरक्षा भुगत चुका है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त **मुकेश कुमार पुत्र कल्याण** इस न्यायालय में **दिनांक 23.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 27.04.2026** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J